

बिहार सरकार

वित्त विभाग।

प्रेषक,

राहुल सिंह,
सचिव (व्यय)।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक : 05.02.2020

विषय :- विभिन्न स्तर के लोक-सेवकों/पदाधिकारियों के उपयोग के लिए सरकारी वाहन क्रय हेतु व्यय की अधिसीमा निर्धारण के संबंध में।

महाशय ,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत राज्य के विभिन्न स्तर के लोक-सेवकों/पदाधिकारियों के उपयोग के लिए सरकारी वाहन क्रय हेतु व्यय की अधिसीमा (जिसमें वाहन की ऑन-रोड कीमत एवं साज-सज्जा में होने वाले अन्य व्यय भी शामिल हैं) का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा पर सरकार द्वारा किया गया है, जो निम्नवत् है :-

- | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| (i) | माननीय मंत्री/उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश एवं समकक्ष के लिए | - रु 25 लाख |
| (ii) | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव एवं समकक्ष के लिए | - रु 20 लाख |
| (iii) | जिला पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए | - रु 18 लाख |
| (iv) | जिला जज/पुलिस अधीक्षक एवं समकक्ष के लिए | - रु 13 लाख |
| (v) | अन्य पदाधिकारी (जिन्हें वाहन अनुमान्य है) के लिए | - रु 11 लाख |

सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

ह०/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक : 3ए-8-बैठक-02/2018-947/वि०

पटना, दिनांक : 05.02.2020

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-800001 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-


(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक : 3ए-8-बैठक-07/2018-947/वि०

पटना, दिनांक : 05.02.2020

प्रतिलिपि : सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।



(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।